जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कमांकः जविप्रा/स.स./बीपीसी/2009/डी–1788 दिनांकः 08/12/09

कार्यवाही विवरण

विषयः– भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 88 वीं बैठक दिनांक 30.11.2009 को प्रातः 10.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमे निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विवरण	निर्णय	अनुपालना
1.	88.1	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 87वीं बैठक दिनांक 13.11. 2009 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं निर्णयों के कियान्विती की समीक्षा।	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 87वीं बैठक दिनांक 13.11.2009 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं कियान्विति की समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया। एजेण्डा संख्या 87.10 मे श्री एन. के. .खींचा उपस्थित हुए। उनके द्वारा यह व्यक्त किया गया कि जविप्रा द्वारा एक पत्र दे दिया जावे कि मानचित्र Conditional Approved है जिससे कि सरकार से बजट मांग लिया जावे।	
2.	88.2	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 304 से 307 नेगी नगर विस्तार, बाईपास रोड, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, एवं रश्मि रूपानी के प्रतिनिधि व वास्तुविद श्री ज्ञानेन्द्र सिंह शेखावत को सुना गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:– 1. पुनर्गठित भूखण्डों में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश क्रमांक प. 10(65)नविवि /3/2004 दिनांक 27.03.2007 को दृष्टिगत रखते हुए जविप्रा स्तर से पूर्व में पुर्नगठित भूखण्डों में भूतल को स्टिल्ट फ्लोर रखे जाकर ही स्वीकृति प्रदान की गई है अतः आवेदक से संशोधित मानचित्र लिये जाकर अनुमोदन की कार्यवाही की जावे। निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तो की पूर्ती पर जारी किये जायेगे।	
3.	88.3	प्रस्तावित खसरा नम्बर 814, कानोता के आनन्द एज्यूकेशन	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा	

		एण्ड रिसर्च ट्रस्ट के सांस्थानिक भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	निम्न शर्तो के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:– 1. प्रस्तावित भवन की ऊचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तो की पूर्ती पर जारी किये जायेगे।	
4.	88.4	खसरा नम्बर 1697 व 1700 ग्राम कलवाडा के प्रस्तावित विनायक राज शिक्षण संस्थान के संस्थागत भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्तो के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:– 1. मौके पर बेसमेंट, आंशिंक भूतल व आंशिक प्रथम तल का निर्माण बिना अनुज्ञा प्राप्त किये कर लिया गया है जिसके लिए भवन नियमबद्धता नियमतिकरण विनियम 1989 के अनुसार बिना अनुमति निर्माण की शास्ति ली जावे। निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तो की पूर्ती पर जारी किये जायेगे।	
5.	88.5	खसरा नम्बर 1701, 1702/1, 1699, 1988, 1987, 1698, 1989 ग्राम कलवाडा तहसील सांगानेर जयपुर के प्रस्तावित व निर्मित सांस्थानिक भवन के मानचित्र अनुमोदंन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्तो के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने एवं अधिवास प्रमाण पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया:– 1. मौके पर बेसमेंट, आंशिंक भूतल व आंशिक प्रथम तल का निर्माण बिना अनुज्ञा प्राप्त किये कर लिया गया है जिसके लिए भवन नियमबद्धता नियमतिकरण विनियम 1989 के अनुसार बिना अनुमति निर्माण की शास्ति ली जावे। निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तो की पूर्ती पर जारी किये जायेगे।	
6.	88.6	भूखण्ड संख्या 3 ए स्वेज फार्म न्यू सागानेर रोड जयपुर में	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी श्री धीरेन्द्र मदान को	

		प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग फ्लेट्स के अधिवास प्रमाण पत्र बाबत।	समिति द्वारा सुना गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्तो के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः– 1. प्रस्तुत मानचित्रों में पार्श्व सैटबैक में गैस टैंक निर्मित किया गया है जिसके संबंध में कोई प्रावधान भवन विनियम 2000 में नहीं है चूँकि यह आवासीय फ्लेट्स की सुविधा हेतु निर्मित किया गया है अतः अग्नि सुरक्षा विभाग, विस्फोटक विभाग एवं जिला कलेक्टर जयपुर से निर्मित गैस टेंक का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर अनुज्ञेय किया जावे। 2. प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.11.09 के पत्र द्वारा व समिति को यह जानकारी दी गई कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के नियमों व प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रिक पैनल रूम 12.50 X 3.65 मीटर की माप का आवश्यक है जो कि पार्श्व सैटबैक में निर्मित है। समिति द्वारा विद्युत मण्डल आवश्कता के मद्देनजर इसे अनुज्ञेय किया गया। 3. मौके पर निर्मित गार्ड रूम 14.76 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित है जबकि भवन विनियम 2000 के अनुसार गार्ड रूम 6.25 वर्ग मीटर ही अनुज्ञेय है, श्री धीरेन्द्र मदान निदेशक महिमा रियल एस्टेट्स द्वारा समिति को अवगत करवाया गया कि इतने बडे परिसर के लिए नियमों में निर्धारित गार्ड रूम का क्षेत्रफल काफी कम है। मौके पर निर्मित क्षेत्र वहाँ पर प्रतिस्थापित लगभग 10–12 गार्डस के लिए पूर्ण नहीं है अतः उन्हें यह क्षेत्र गार्ड रूम के लिए अनुज्ञेय किया जावे जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। 4. फ्रन्ट सैटबैक में निर्मित अस्थाई साईट ऑफिस का आवेदक द्वारा हटाने की सहमति दी गई है जिसे मानचित्र जारी से पूर्व हटाया जावे। 5. बेसमेंट में 4 सर्विस एरिया दर्शित किये गये है जिन्हें पार्किंग क्षेत्र में रखे जाने पर आवेदक द्वारा	

			सहमति प्रदान की गई है अतः मानचित्रों में आवश्यक संशोधन करवाया जावे। एवं आवेदक से इस आशय की अन्डरटेकिंग ली जावें कि इस क्षेत्र को भविष्य में पार्किंग उपयोग हेतु ही रखा जावेगा। 6. मौके पर पेन्ट हाउस के आगे स्टेयर केस के निर्माण 7 व 8 तल तक किये गये है जिससे एफएआर 1.804 हो जाता है व यह क्षेत्र केवल स्टेयरकेस के उपयोग हेतु लिया जा रहा है व इसका कोई हेबीटेबल उपयोग नहीं हो रहा है। अतः भवन नियमतिकरण/नियमबद्धता अधिनियम 1989 के प्रावधानानुसार शास्ति ली जाकर नियमबद्ध किया जावे। 7. टेरेस फ्लोर पर सौर ऊर्जा का प्रावधान मानचित्र जारी से पूर्व करवाया जावे। 8. वास्तुविद का प्रमाण पत्र व स्ट्रक्चरल इंजिनियर का प्रमाण पत्र लिया जावे। उपरोक्त शर्तो की पूर्ती होने पर भवन मानचित्र व अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जावे।	
7.	88.7	खसरा नम्बर 57, 57/2241, 61, 61/2242, 58, 60, 60/2187, 59 ग्राम कूकस जयपुर के प्रस्तावित रिसोर्टस के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया एवं समिति द्वारा वास्तुतविद श्री अशोक मिश्रा व आवेदक के प्रतिनिधि को सुना गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्तो के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः- 1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित भवन मानचित्रों द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित भवन में केवल रेस्टोरेंट, बार व बैंकउट हॉल में ही लेटिस रूफ का निर्माण किया जा रहा है जो कि परगोलानुमा है व ओपन टू स्काई रहेगा जिसे किसी प्रकार से भी ढका नहीं जावेगा। अतः समिति द्वारा इसे ओपन टू स्काई हिस्से को अधिकतम आच्छादित क्षेत्रफल में इस लकडी की छत को गणना में शामिल नहीं किये जाने का	

			निर्णय लिया गया। प्रार्थी द्वारा यह भी बताया गया कि यह एक विशेष प्रकृति का रिसोर्ट बनाया जा रहा है जिसमें अण्डरग्राउण्ड सर्विस टनल द्वारा सभी कमरों को सर्विस की जावेगी। इस टनल का कोई हेबिटेबल उपयोग नहीं किया जावेगा व भविष्य में भी इसको सर्विस के अलावा अन्य कोई उपयोग में नहीं लिया जावेगा। अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विशेष प्रकृति के भवनों में इस प्रकार की फेसिलिटी दिया जाना आवश्यक है अतः इसे एफएआर से मुक्त रखा जावे। अतः लेटिस रूफ व सर्विस टनल के संबंध में उपरोक्तानुसार आवेदक से अण्डरटेकिंग ले ली जावे। 2. आवेदक द्वारा अपेक्षित पार्किंग 443 ईसीयू के स्थान पर 416 ईसीयू प्रस्तावित की है। सेटबैक क्षेत्र में पर्याप्त खुले क्षेत्र में पार्किंग को प्रस्तावित करवाया जावे। 3. प्रस्तावित निर्मित क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक है अतः पर्यावरण व प्रदूषण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जायेगे।	
8.	88.8	प्रस्तावित भूखण्ड संख्या ए–221, ए–222, ए–231 व ए–232 हनुमान नगर जयपुर के निर्मित एवं प्रस्तावित आवासीय भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्तो के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:– 1. मौके पर बेसमेंट बिना अनुमति प्राप्त किये किया गया है एवं दोनों सामने के सैटबैक में वायलेशन है जो भवन नियमितिकरण/ नियमबद्धता विनियम 1989 के अनुसार नियमबद्ध योग्य है जिसे शास्ति लिये जाकर नियमित किया जावे। 2. मौके पर भूतल की प्लिन्थ विनियमानुसार संशोधित करवायी जावे। निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त	

			शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जायेंगे।	
9.	88.9	भूखण्ड संख्या जी एच–6, ग्रुप हाउसिंग योजना रातल्या, सांगानेर में आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया एवं आवेदक श्री मोहनीश शर्मा को सुना गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्तो के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:– 1. मौके पर ब्लॉक की फुटिंग का कार्य बिना अनुमति किया गया है जिसकी शास्ति भवन नियमतिकरण/ नियमबद्धता विनियम 1989 के अनुसार ली जावे। 2. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। 3. प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथपत्र भी लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है। 4. नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तो की पूर्ती पर जारी किये जायेंगे।	
10.	88.10	जल महल रिसोर्टस आमेर रोड जयपुर में प्रस्तावित जल महल योजना के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया एवं आवेदक के प्रतिनिधि सुनील शर्मा व वास्तुविद श्री मुकुल गोयल को समिति द्वारा सुना गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्तो के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:– 1. आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा अवगत करवाया गया कि जो हिस्सा पानी के अन्दर है जिसमें उनके द्वारा किसी प्रकार का भराव नहीं किया गया है जिससे जल महल का प्रतिबिम्ब पानी क्षेत्र में पूर्ण रूप से नजर आये। जिसे समिति द्वारा स्वीकार्य किया गया। जविप्रा द्वारा निर्मित रैलिंग व निर्मित नाले को यथावत रखा जावे। 2. डवलपमेंट कन्ट्रोल में रेस्टोरेन्ट का क्षेत्र 500 वर्ग	

मीटर रखते हुए संशोधित करवाये जावे। दोनों बोट हाउस व कॉमन सुविधा ब्लॉक को नियंत्रित क्षेत्र से हटाकर निर्मित किये जाने वाले क्षेत्र के अन्दर प्रतिस्थापित कर संशोधित करवाया जावे। प्रस्तुत प्रस्ताव में जो ओपन स्टेज नियंत्रित क्षेत्र दर्शाया गया है वह जल महल के व्यू एवं बैक ड्रोप ऑफ स्टेज हेतु आवश्यक है जिसे आवेदक द्वारा समिति के समक्ष व्यक्त किया गया। समिति द्वारा उक्त स्थिति विशेष को देखते हुये इस ओपन स्टेज को अनुज्ञेय किये जाने की स्वीकृति दी गई। स्टेज के अतिरिक्त अन्य कोई उपयोग भविष्य में नहीं किया जावेगा।

3. रास्ते की उपलब्धता उपायुक्त सम्बन्धित जोन व अभियांत्रिकी शाखा के स्तर से की जानी होगी व होने वाला व्यय आवेदक द्वारा शर्तों के अनुरूप वहन किया जावेगा।
4. आवेदक द्वारा यह अवगत करवाया गया कि प्री बिड डॉक्यूमेंट में दो रिसोर्ट हेतु अनुज्ञा प्रदान की गई थी। एक से अधिक संख्या बाबत कोई प्रतिबन्ध भी नहीं है। अतः दो रिसोर्ट अनुज्ञेय किये जावे।
5. कॉमन सुविधा में निम्नलिखित प्रस्ताव दिये गये है:– एम्फी थियेटर, आर्ट द हिस्टी पार्क, [illegible] एण्ड एसटीडी सुविधा, बैंक एटीएम, बुकिंग ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ड्राईवर रेस्ट रूम, डिस्पेन्सरी इत्यादि जिन्हें अनुज्ञेय किया जावे।
6. एम. ओ. यू. में दिये गये डवलपमेंट कन्ट्रोल में विभिन्न उपयोगों हेतु संख्या के साथ–साथ एरिया का भी विवरण दिया गया है मुख्य सचिव की अध्यक्षता की मिटिंग दिनांक 10.09.2009 के बिन्दु संख्या 1 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि संशोधित प्रस्ताव अधिकतम क्षेत्रफल के अनुसार निर्धारित क्षेत्रफल की सीमा FSI (Built up Area) के

			अन्दर रखा जावे। अतः उस सीमा के क्षेत्रफल के अनुसार मानचित्रों की जांच की जावे। 7. एम. ओ. यू. के डवलपमेंट कन्ट्रोल में अधिकतम आच्छादन क्षेत्र 55,179 वर्ग मीटर अनुज्ञेय किया गया है। सम्बन्धित द्वारा स्पष्टीकरण चाहने पर प्रार्थी द्वारा यह बताया गया कि मुख्य सचिव की बैठक दिनांक 10.09.2009 के कार्यवाही विवरण में एफएसआई (अधिकतम निर्मित क्षेत्रफल) को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। अतः समिति द्वारा अधिकतम निर्मित क्षेत्रफल को FSI क्षेत्रफल माना गया। जविप्रा द्वारा गणना किये जाने पर अधिकतम आच्छादित निर्मित क्षेत्रफल 139667.95 वर्ग मीटर है एवं एफएआर 0.139 (53554.71 वर्ग मीटर) है। प्रस्तुत प्लान के अनुसार अधिकतम निर्मित क्षेत्रफल (139667.95 वर्ग मीटर) में FSI की गणना के अनुसार अण्डरग्राउण्ड पार्किंग का क्षेत्रफल व छुट की गणना का क्षेत्रफल सम्मलित है। वास्तुविद द्वारा स्पष्ट किया गया कि 54000 वर्ग मीटर क्षेत्र 2000 कार पार्किंग के लिए बेसमेंट क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है जो कि एफएआर से छूट योग्य क्षेत्रफल, भवन विनियमों के प्रस्तावानुसार है। आवेदक के वास्तुविद द्वारा व्यक्त किया गया कि यह प्रोजेक्ट विशेष प्रकृति का प्रोजेक्ट है व हेरीटेज शैली के परिपेक्ष में दो कोरिडोर का प्रावधान रखा गया है जिसमें दो–दो मीटर के कोरिडोर के बीच 3.0 मीटर का हरित क्षेत्र दर्शित किया गया है उसको प्लान में दिये गये प्रस्ताव अनुसार ही उपयोग में लाया जायेगा। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त स्थिति के मध्य नजर इस प्रोजेक्ट हेतु जो बेसमेंट में पार्किंग, रिसोर्ट, कन्वेशन सेक्टर, क्राफ्ट बाजार के क्षेत्र में दर्शायी गई है उसे अनुज्ञेय किया जावे। पार्किंग व कोरिडोर हेतु प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ली जावे कि वह भविष्य में इसका	

			कोई भी अन्य उपयोग नहीं करेगा और कोरिडोर व हरित क्षेत्र को यथावत रखेगा। 8. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु समर्पणनामा लिया जावे। 9. राज्य पर्यटन विभाग द्वारा आवंटन व डवलपमेंट कन्ट्रोल में उल्लेखित समस्त शर्तों की अनुपालना आवेदक के स्तर से सुनिश्चित की जावे। 10. पर्यावरण व प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे। 11. आदेश दिनांक 22.09.2009 के शर्त संख्या 10 के अनुसार जयपुर नगर निगम, सिंचाई विभाग कला एवं संस्कृति विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जायेगे।	
11.	88.11	रामबाग पैलेस परिसर भवानी सिंह मार्ग जयपुर के प्रस्तावित होटल के विस्तार के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। संस्था के प्रतिनिधि श्री हरि सिंह व वास्तुविद अमित गहलोत उपस्थित हुए उनके द्वारा विभिन्न विधिक दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिनकी जांच उपायुक्त जोन द्वारा की जाकर विधिक राय ले ली जावे एवं रिपोर्ट के साथ प्रकरण आगामी बठक में प्रस्तुत किया जावे।	
आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डाओं पर भी विचार विमर्श किया गया।				
12.	88.12	खसरा नम्बर 129, 130, 132, 133, 137, 138, 136, 145, 145/337, 146, ग्राम रामचन्द्रपुरा अजमेर रोड, जयपुर में प्रस्तावित रिसोर्ट के भवन मानचित्र अनमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया एवं आवेदक भंवर लाल यादव को सुना गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्त के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः– 1. अजमेर रोड का राईट ऑफ वे मध्य से 45.0 मीटर निर्धारित है जबकि मौके पर 24.0 मीटर उपलब्ध है। राईट ऑफ वे की भूमि समर्पित की जावे। 2. आवेदक द्वारा पक्के निर्मित भवन को हटाये जाने	

			पर सहमति व्यक्त की गई है अतः राईट ऑफ वे व प्लान्टेशन कोरिडोर में पक्के निर्माण को भवन मानचित्र जारी से पूर्व हटवाया जावे। क्योंकि राईट ऑफ वे व प्लान्टेशन कोरिडोर में कोई निर्माण अनुज्ञेय नहीं है। निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तो की पूर्ती पर जारी किये जायेगे।	
13.	88.13	खसरा नम्बर 1577/3, 1570/2, 1570/3, ग्राम रेनवाल तहसील फागी के प्रस्तावित, राजधानी इन्सटीट्यूट आफ टेक्नोलोजी एण्ड मेनेजमेंट भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्त के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः– 1. मौके पर दो ब्लॉक भूतल, प्रथम तल, व द्वितीय तल तक वर्कशॉप ब्लॉक भूतल तक एवं हॉस्टल ब्लॉक भूतल व आंशिक प्रथम तल तक बिना अनुमति प्राप्त किये निर्मित किया गया है जिसका नियमतिकरण भवन नियिमति करण/नियमबद्धता विनियम 1989 के अनुसार बिना अनुमति निर्माण की शास्ति लिये जाकर किया जावे। 2. सामने के सैटबैक में 7.60X37.60 = 235.76 वर्ग मीटर का टीनशेड निर्मित है जिसे भवन मानचित्र जारी से पूर्व हटवाया जावे। निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तो की पूर्ती पर जारी किये जायेगे।	
14.	88.14	पुंनर्गठित भूखण्ड संख्या 317 व 318 निर्माण नगर सी अजमरे रोड जयपुर के प्रस्तावित आवासीय भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि पृष्ठ सैटबैक में पार्किंग हेतु रैम्प का प्रावधान अनुज्ञेय नहीं किया जा सकता है। अतः रैम्प का प्रस्ताव हटाते हुए संशोधित मानचित्र लिये जावे।	

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

18/12/09

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति(बीपी),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

परिशिष्ट–"1"

भवन मानचित्र समिति (बिल्टिंग प्लान) की 88 वीं बैठक दिनांक 30.11.2009 को प्रातः 10.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थीः–

1.	श्री सुधांश पंत, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।	अध्यक्ष
2.	श्रीमती गायत्री ए. राठौड, सचिव, जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
3.	श्रीमती सुचि शर्मा, अति. आयुक्त (प्रशासन व एल.पी.सी), जविप्रा, जयपुर	सदस्य
4.	श्री शफी मोहम्मद कुरेशी, अति. आयुक्त (पूर्व), जविप्रा, जयपुर	सदस्य
5.	श्रीमति लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी) जविप्रा,जयपुर	सदस्य सचिव

विशेष आमंत्रित :–

1. श्रीमती मालिनी अग्रवाल, उप महानिरीक्षक, पुलिस जविप्रा, जयपुर।
2. श्री महेन्द्र खींची, उपायुक्त जोन–1, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री नरेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन–2, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री गिरीश पाराशर उपायुक्त जोन–5, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री एस. मित्रा, उपायुक्त जोन–7, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री बाबू लाल गोयल, उपायुक्त जोन–11, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री नीरज तिवाडी, उप नगर नियोजक(बीपीसी–बीपी), जविप्रा, जयपुर

8/12/09

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कमांकः जविप्रा/स.स./बीपीसी/2009/डी–1788 दिनांक :08/12/09

प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक, पुलिस, जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक(आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
5. अति. आयुक्त, पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि एवं बीआरटीएस, जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन–............., जविप्रा, जयपुर।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

8/12/09

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)